

## बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना  
(भू-अर्जन निदेशालय)

### अधिसूचना

अधिसूचना संख्या : - २०८८ / रा०. दिनांक : - २७ - ०८ - १३

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - हरपुर बसंत, प्रगना - रत्ती, थाना - लालगंज, हाल थाना- वैशाली, थाना नं० - 46 जिला - वैशाली में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त ग्राम - हरपुर बसंत के भीतर कमोवेश मानक माप से 72.23½ एकड़ के बराबर होता है, एक भूखण्ड अपेक्षित है, जिसका खेसरा संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

### खेसरा अनुसूचि

पूर्ण खेसरा सं०-23अंश,24,25पूर्ण,26अंश,27अंश, 28,29,30 पूर्ण,31 अंश, 32 अंश, 34अंश,36 अंश 37,38,39,40,41,42,43,44 पूर्ण,45 अंश, 46 अंश,47,48 पूर्ण, 49 अंश, 50 अंश, 51 अंश, 52,53 पूर्ण, 54 अंश, 56 अंश, 57 अंश, 58 अंश, 59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,76 पूर्ण, 78 अंश, 92 अंश, 91 अंश, 93, 94 पूर्ण 96, 97, 98, 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113, 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181, 182,183,183 / 654,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195, 196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212 पूर्ण, 287 अंश, 288 अंश, 289,290,291,292,293,294,295,296,297पूर्ण, 298 अंश,299,300,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317, 318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334, 335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,3 52,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,3 69,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384, पूर्ण 285.,386 अंश, 390, 408 पूर्ण, 409 अंश,410,411,412 पूर्ण, 413 अंश, 414 अंश,425पूर्ण, 426 अंश,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,440, 441,442,443,444 पूर्ण, 445 अंश, 448 अंश, 449 अंश, 450 पूर्ण, और 451 अंश, 387, 388, 389 पूर्ण

### सीमा अनुसूचि (चौहद्दी)

उत्तर : - अंश खेसरा सं० 57,56,51,50,49,46,45,36,34,32,31,30,27,26,23,451,449,448, 445,440,437,429, पूर्ण खेसरा सं० 496,497 और 69  
पूरब : - अंश खेसरा सं० 425,426,414,413 पूर्ण खेसरा सं० 407,अंश खेसरा सं० 409,385,386,390,288,287,289,299,300 पूर्ण खेसरा सं० 301,302,213,214, 219,220,224 और 225  
दक्षिण : - ग्रामीण सड़क (खेसरा सं० 227) पूर्ण खेसरा सं० 213,217,218,239,240,241,  
पश्चिम : - ग्रामीण सड़क, अंश खेसरा सं० 91,92,78 पूर्ण खेसरा सं० 77,75,69,70,71 और 48


यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1/1894 की धारा 4 में संशोधन अधिनियम 11/1961 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका उससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर समाहर्ता, वैशाली/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के प्रारम्भिक अनुसंधान के समय लगे विभाग के पदाधिकारियों और उनके स्टाफ को प्राधिकृत करते हैं कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा- (2) में यथा उपबंधित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों को समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 17/4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने इन परियोजना की तत्परता (Urgency) को देते हुए निश्चय किया गया है कि इन भू-अर्जन की कार्रवाई में भू-अर्जन अधिनियम की धारा -5-ए की कार्रवाई लागू नहीं होगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


  
**समाहर्ता**  
वैशाली

  
सरकार के सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : २०४४/रा० दिनांक : २७-०८-१३

- प्रतिलिपि :** निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशनोपरान्त समाचार की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को प्राप्त कराने कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :** आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/समाहर्ता, वैशाली/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :** प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, वैशाली को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, वैशाली को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :** जिला अवर निबंधक, हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
**समाहर्ता**  
वैशाली

  
सरकार के सचिव,  
बिहार, पटना।